चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4772
दिनांक : 08-1-2020

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय–राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के सेक्शन 10 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना हेतु शासन द्वारा अनापत्ति पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या–934/सत्तर–6–2019–85/2019 दिनांक 27.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय संलग्न पत्र में उल्लेखित अभिलेखों को संलग्न किये जाने हेतु सूचित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय पत्र में उल्लिखित अभिलेखों को अवश्य संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2019 की प्रति।

भवदीय,

8.01.2020

कुलसचिव

प्रतिलिपि:–
01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
02. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

संख्या-934/सत्तर-6-2019-85/2019

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के सेक्शन 10 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना हेतु शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-38/52-3-2015-रिट (30)/2014, 05 जनवरी 2015 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या-02 सन् 2005) की धारा-2 (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च शिक्षा विभाग की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के सेक्शन 10 के अधीन अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित अभिलेखों को संलग्न किया जाना आवश्यक है:—

1) अल्पसंख्यक संस्था की प्रबन्ध समिति/संचालन समिति में अल्पसंख्यक सदस्यों का प्रतिनिधित्व 51% से कम नहीं होना चाहिए।
2) समिति के बायलाज की प्रमाणित प्रति, जिसमे समिति के पंजीकरण एवं वैधता की अन्तिम तिथि के साथ-साथ समिति के उद्देश्य में जिस अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण/संवर्धन हेतु शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जानी है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
3) समिति के सदस्यों की सूची।
4) महाविद्यालय किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, शपथ पत्र के साथ सूचना।
5) अल्पसंख्यक महाविद्यालय की स्थापना हेतु नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु शासनादेश संख्या-3310/सत्तर-2-2008-2(166)/2002, दिनांक 04 अगस्त, 2008 में दिये गये व्यवस्थानुसार भूमि का मानक पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र।
6) संबंधित संस्था के बायलाज में संशोधन/मूल स्वरूप में परिवर्तन की दशा में उक्तानुसार हुए परिवर्तन की सूचना से शासन को 10 दिन में अवगत कराया जायेगा।

7) अल्पसंख्यक संस्था द्वारा पर्याप्त रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण हित के लिए योजनाएं क्रियान्वित किये जाने का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

8) उपर्युक्त शर्तों से विचलन की स्थिति में संबंधित संस्था की एन.ओ.सी. शासन द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार किये जाने हेतु शासन में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज/ संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से संस्तुति सहित प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त परीक्षण कर प्रश्नगत संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या-934(1) /सत्तर-6-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।